

**GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)**

No. 2014/TG-I/20/P/Group Booking

New Delhi, dated 13.10.2014

**Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.**

(COMMERCIAL CIRCULAR NO.43 OF 2014)


Sub: Reservation - group/families travelling together being treated as one unit.

As per extant instructions, Zonal Railways have been authorised to delegate the powers for group reservation/party booking to various levels prescribing the extent to which each level can permit such booking. The railways have also been allowed to impose local restrictions to curb any malpractices.

2. References were received from some Zonal Railways regarding inconvenience caused to the passengers due to different timings being followed by Zonal Railways for allowing group booking on the opening day of reservation. Accordingly, comments were called for from Zonal Railways.

3. The matter has been examined accordingly and it has been decided that on the opening day of reservation, bulk reservation at the party booking counter should be permitted from 09:00 a.m., i.e. one hour after the opening of reservation. Zonal Railways may, however, continue to impose other local restrictions in order to prevent misuse.

4. Necessary instructions may be issued to all concerned.



**(Dr. S.K. Ahirwar)
Director Traffic Commercial (G)
Railway Board**

Copy to:

- 1) CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
- 2) ADG/PR, EDV (T), EDFC, DF(C), OSD/TC, F(C) & V (SS) branches of Railway Board.
- 3) MD/IRCTC, Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.
- 4) General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
- 5) Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
- 6) The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway, Bhusaval, Eastern Railway, Dhanbad, Northern Railway, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, Southern Railway, Trichy, South Central Railway, Maula Ali, SE Railway, Sini, Western Railway, Udaipur.
- 7) Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Luknow-2260011.
- 8) General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
- 9) General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
- 10) Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.370, Rail Bhawan, New Delhi.
- 11) Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
- 12) Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
- 13) CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhawan, 33/1, J L Nehru Road, Kolkata-71.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

सं. 2014/टीजी-1/20/पी/ ग्रुप बुकिंग

नई दिल्ली, दिनांक 13.10.2014

मुख्य वाणिज्य प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें।

(2014 का वाणिज्य परिपत्र सं. 43)

विषय: एक साथ यात्रा करने वाले ग्रुप/परिवार, जिन्हें एक इकाई माना जाता है, के लिए आरक्षण।

मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, ग्रुप रिजर्वेशन/पार्टी बुकिंग के लिए क्षेत्रीय रेलों को विभिन्न स्तरों पर शक्तियां प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, जिसमें निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक स्तर पर किस सीमा तक इस प्रकार की बुकिंग की अनुमति दी जा सकती है। रेलों को किसी भी प्रकार का कदाचार रोकने के लिए स्थानीय प्रतिबन्ध लगाने की अनुमति भी प्रदान की गई है।

2. आरक्षण खुलने के दिन, ग्रुप बुकिंग की अनुमति प्रदान करने के लिए क्षेत्रीय रेलों द्वारा अलग-अलग समय का पालन करने के कारण यात्रियों को हो रही परेशानी के संबंध में कुछ क्षेत्रीय रेलों से पत्र प्राप्त हुए थे। तदनुसार, क्षेत्रीय रेलों से उनकी टिप्पणी मांगी गई थी।

3. इस मामले की तदनुसार जांच की गई है और यह विनिश्चय किया गया है कि आरक्षण के खुलने के दिन, पार्टी बुकिंग काउंटर पर अधिक मात्रा में होने वाले आरक्षण की अनुमति प्रातः 09:00 बजे से अर्थात् आरक्षण खुलने के एक घंटे बाद दी जाएगी। बहरहाल, दुरुपयोग को रोकने के लिए क्षेत्रीय रेलें अन्य स्थानीय प्रतिबन्ध जारी रख सकती हैं।

4. सभी संबंधितों को आवश्यक अनुदेश जारी किए जाएंगे।

(डॉ० एस.के. अहिरवार)

निदेशक यातायात वाणिज्य (जी)

रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि प्रेषितः

- 1) सीसीएम/पीएम व सीसीएम/पीएस सभी क्षेत्रीय रेलें।
- 2) एडीजी/पीआर, का नि सतर्कता(टी), का नि वित्त (सी), निदेशक वित्त (सी), वि.का.अधिकारी/टी सी, वित्त (सी) व सतर्कता (एस एस) शाखाएं रेलवे बोर्ड।
- 3) प्रबंध निदेशक/आई आर सी टी सी, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
- 4) महाप्रबंधक/पीआरएस-1, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
- 5) महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्य रेलवे स्टाफ कॉलेज, बडोदरा।
- 6) प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/धनवाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, पश्चिम रेलवे/ उदयपुर।
- 7) निदेशक, भारतीय रेल यातायात प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाइपास रोड, मानक नगर, लखनऊ- 2260011
- 8) जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3,चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
- 9) जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंटी रोड, नई दिल्ली।
- 10) सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (फ्रोआ), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 11) सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 12) सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
- 13) सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मेट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71